

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

जोधपुर डिस्ट्रिक्ट/आर-विद्युत/जोधपुर/फरवरी-मार्च/मि 369 दिनांक- 16/5/02

परिपत्र

विषय - अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा स्वयं जाति से
 खरीदी गई भूमि पर कृषि कनेक्शन दिये जाने के
 प्रावधान में संशोधन बाबत ।

विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक आर ई ए 209 दिनांक 12.7.2000 में खर्चा पैसा 2 में अनुसूचित जाति के आवेदकों की कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाईयों को मद्देय नजर रखते हुये दिनांक 30.4.2002 की समन्वय समिति में लिये गये निर्णयानुसार अब यह संशोधित प्रावधान किया जाता है कि भविष्य में अनुसूचित जाति के ऐसे कृषि आवेदक जिन्होंने चालू वित्त वर्ष से पाँच वर्ष पूर्व जमा से कम की दोहा कृषि भूमि स्वयं / मिजडी / अनुसूचित जन जाति के कृषक / कृषकों से क्रय की हो, उन्हें जमीन की खरीद सम्बन्धी पूर्ण जौध सहायीय मुख्य अभियन्ता (फरर) द्वारा किये जाने के बाद कनेक्शन दे दिये जायें ।

जिन प्रकारको में जमीन की खरीद को चालू वित्त वर्ष में पाँच वर्ष से कम समय हुआ है ऐसे प्रकारको में अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुसूचित जाति प्राधानिकता से कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा, वे बाह्य को सहाय्य श्रेणी / अन्य प्रभावी योजना में आवेदन कर सकते हैं ।

Sanjiv Kumar
 उपमुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
 जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जोधपुर